कामेश पंजियार उर्फ कमलेश पंजियार

बनाम

बिहार राज्य

1 फरवरी, 2005

[अरिजीत पसायत और एस. एच. कपाडिया, न्यायाधीशगण]

दंड संहिता, 1860:

धारा 304-बी-दहेज मृत्यु-अल्पसंख्याक-स्पष्ट किया गया-तथ्यों, पर साक्ष्यों अभिलेख पर दहेज की प्रमाणित मांग और घटना की तारीख से कुछ समय पहले मृतक के साथ दुर्व्यवहार-इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृत्यु सामान्य कारणों से हुई थी-अभियुक्त द्वारा अपराध की पुष्टि-निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि और उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित सजा में हस्तक्षेप करने के लिए कोई दुर्बलता नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

धारा 113-बी-दहेज मृत्यु के बारे में धारणा-साबित करने के लिए आवश्यक-समझाया गया।

शब्द और वाक्यः

"उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले" अभिव्यक्ति। जैसा कि भा.द.स.और धारा-304 मे उत्पन्न साक्ष्य अधिनियम-संलेखन

अपीलार्थी पर भा.द.स. की धारा-304-बी के तहत मुकदमा चलाया गया था। अपनी पत्नी सुचना देने वाले की दहेज हत्या के लिएअभियोजन पक्ष का मामला था कि मृतक ने दहेज की मांग को पूरा न करने के कारण अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के हाथों दुर्व्यवहार और यातना की शिकायत की। निचली अदालत ने अपीलार्थी को अपराध का दोषी

ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त की अपील पर, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की लेकिन सजा को घटाकर 7 साल कर दिया। अभियुक्त द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर अपील में यह था कि

अपीलार्थी के लिए तर्क दिया कि दहेज की मांग और मृतक की मृत्यु दोनों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं था। यह कि डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि मृत्यु का कारण पता नही लगाया जा सकता था, और इस तरह, निचली अदालतों ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि दर्ज करने में गलती की।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अदालत ने कहा: 1.1 भा.दं.स. की धारा-304-बी के अनुसार 'दहेज मृत्यु' की परिभाषा के अनुसार। साक्ष्य अधिनियम की अनुमानित धारा-113-बी मे शब्दांकन के अनुसार अन्य प्रावधानों के अलावा, दोनों प्रावधानों में आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि संबंधित महिला को "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले" "दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में" क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना चाहिए था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी कानून की एक धारणा है। उसमें उल्लिखित आवश्यक बातों के प्रमाण पर, न्यायालय के लिए यह अनुमान लगाना अनिवार्य हो जाता है कि अभियुक्त दहेज हत्या का कारण बना। अभियोजन पक्ष को प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की संभावना को खारिज करना होगा ताकि इसे 'सामान्य परिस्थितियों में होने वाली मृत्यु' के दायरे में लाया जा सके। 'जल्द ही पहले' अभिव्यक्ति बहुत प्रासंगिक है जहाँ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और भा.द.स. की धारा 304–बी को सेवा में लगाया जाता है। अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए बाध्य है कि घटना से तुरंत पहले क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था और केवल उस मामले में अनुमान संचालित होता है। उस संबंध में साक्ष्य का नेतृत्व अभियोजन द्वारा किया जाना चाहिए।

[909-ए-बी-E-F]

1.2. 'जल्द ही पहले' एक सापेक्षिक शब्द है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई स्ट्रेट-जैकेट सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि घटना से कुछ समय पहले की अवधि क्या होगी। मौलिक 's' में 'उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। धारा 304-बी और साक्ष्य अधिनियम का धारा--बी 113-बी निकटता परीक्षण के विचार के साथ मौजूद है। कोई निश्चित अवधि का संकेत नहीं दिया गया है और 'जल्द ही पहले' अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। दहेज की माँग पर आधारित क्रूरता के प्रभावों और संबंधित मृत्यु के बीच एक निकट और जीवंत संबंध का अस्तित्व होना चाहिए। यदि क्रूरता की कथित घटना समय पर कम हो जाती है और इतनी बासी हो जाती है कि संबंधित महिला के मानसिक संतुलन में खलल न पड़े, तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा। [909-एफ-एच; 910-ए-सी]

1.3. इस मामले में, पीडब्ल्यू 1, 3 और 6 के साक्ष्य ने घटना की तारीख से कुछ समय पहले मृतक के साथ दहेज और दुर्व्यवहार की मांग को पर्याप्त रूप से स्थापित किया। अभियुक्त के अपराध के बारे में निष्कर्ष निकालने में निचली अदालत और उच्च न्यायालय को उचित ठहराया गया। यदि मृत्यु सामान्य थी जैसा कि अभियुक्त द्वारा दावा किया गया था, तो मृतक की गर्दन पर चोटों को समझाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था। जैसा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है, गर्दन के दोनों ओर काली रंग की खुरदरी त्वचा पाई गई थी। यह उस डॉक्टर द्वारा भी देखा गया है जिसने पोस्टमार्टम किया था। जाँच कि मुँह के किनारे से खून के दाग वाला तरल पदार्थ बह रहा था और मस्तिष्क के पदार्थ अधिक भरा हआ था। दुर्भाग्य से डॉक्टर ने गर्दन पर निशान और मुंह से खून के दाग वाले तरल पदार्थ के रिसाव के प्रभाव पर विचार नहीं किया। आई.ओ (पीडब्लू-9) ने खून से सना एक तकिया जब्त किया था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मृत्यु सामान्य कारणों से हुई थी। अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने को स्थापित करता है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित

दोषसिद्धि और संशोधित सजा हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए किसी भी अराकता से ग्रस्त नहीं है। [911-जी-एच; 912-ए-सी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः 2005 की आपराधिक अपील सं. 205।

आपराधिक अपील संख्या 39/1992 (एकल पीठ) में पटना उच्च न्यायालय के 15.10.2003 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से प्रभाश कुमार यादव और डॉ. कृष्ण सिंह चौहान।

प्रतिवादी की ओर से बी. बी. सिंह और कुमार राजेश सिंह।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति अनुमति दी गई।

शादी स्वर्ग में होती है, यह एक कहावत है। एक दुल्हन अपने माता-पिता के घर से वैवाहिक घर के लिए निकलती है, अपनी मीठी यादों को इस उम्मीद के साथ छोड़ती है कि वह अपने दूल्हे के घर में प्यार से भरी एक नई दुनिया देखेगी। वह अपने पीछे न केवल अपनी यादें छोड़ती हैं, बल्कि अपना उपनाम, गोत्र और कौमार्य भी छोड़ जाती हैं। वह न केवल बहू, बल्कि वास्तव में एक बेटी बनने की उम्मीद करती है। हाय!दहेज के लिए नवविवाहित लड़कियों के उत्पीड़न से जुड़े मामलों की संख्या में खतरनाक वृद्धि सपनों को चकनाचूर कर देती है। ससुराल वालों को आतंकवाद को अंजाम देने के लिए गैरकानूनी माना जाता है जो वैवाहिक घर को नष्ट कर देता है। आतंकवादी दहेज है, और यह हर संभव दिशा में जाल फैला रहा है

अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 304-बी के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अपनी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए पटना उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता प्रश्नगत

उठाता है, जबकि दंड को दस वर्ष के कारावास से घटाकर सात वर्ष कठोर कारावास कर दिया गया जैसा कि विद्वान सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी द्वारा दिया गया था।

मुकदमे के दौरान अभियोजन संस्करण इस प्रकार हैः

जयकली देवी (इसके बाद मृतक के रूप में संदर्भित) मुखबिर सुधीर कुमार महतो (पीडब्लू-6) की बहन थी। उन्होंने 1988 में अपीलार्थी से शादी की थी। दुरगमन का प्रदर्शन बाद में अगस्त, 1989 के महीने में किया गया था। शादी के समय दहेज में रु. 40,000 की मांग की गई थी और उसी का भुगतान किया गया था। इसके बाद, अपीलार्थी द्वारा दुरगमन के समय एक भैंस की मांग की गई थी जिसे पूरा नहीं किया जा सका। मुखबिर सुधीर कुमार महतो (पीडब्लू-6) कई बार उसकी बहन के घर गया और उसकी बहन की बिदागड़ी के लिए अनुरोध किया, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई एवं इसके विपरीत भैस की मांग पर जोर दिया गया। मृतक ने अपीलार्थी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के हाथों दुर्व्यवहार और यातना की शिकायत की। मुखबिर के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। 28.11.1989 को लगभग 7.00 बजे सुबह,. पर, मुखबिर ने ग्राम में कुछ अफवाह सुनी कि उसकी बहन-मृतक की अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई थी, और वे मृत शरीर का निपटान करने पर विचार कर रहे थे। इसके बाद, सूचना देने वाला अपने पिता बाचू महतो (पीडब्लू-3), भाई अनूप महतो (पीडब्लू-5) और चाचा भुनेश्वर महतो (पीडब्लू-7) के साथ अपीलार्थी के ग्राम गया और पाया कि उसकी बहन का शव अपीलार्थी के घर के बरामदे में पड़ा था और उसके मुंह से कुछ खून बह रहा था और उसकी गर्दन पर हिंसा के निशान थे और ऐसा प्रतीत होता था कि पिछली रात उसकी बहन की गला घोंटकर हत्या की गई थी। कन्हौली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अफवाह सुनकर कि ग्राम अरारिया पहुंचे हुई है और उसने मुखबिर के फर्दब्यान (प्रदर्श .1) को रिकॉर्ड किया। उन्होंने फरदबेयन को मामला दर्ज करने के लिए कान्हौली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास भेजा। उन्होंने मृतक के शव की जांच की और जांच रिपोर्ट तैयार की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए

सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया और एक औपचारिक प्राथमिकी तैयार की गई। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

याचिकाकर्ता ने निर्दोष होने का दावा किया। अभियोजन पक्ष ने अपने बयान को आगे बढ़ाने के लिए 9 गवाहों से पूछताछ की। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सुधीर कुमार महतो (पीडब्लू-6) मुखबिर थे। घटना से कुछ समय पहले उनके साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने अपनी बहन अर्थात मृतिका से बात की थी। जिसने उसे दहेज की वस्तुएं नहीं लाने के लिए उसे दिए गए अत्याचारों के बारे में बताया। इसी तरह का प्रभाव दयानंद महतो (पीडब्लू-1) का भी है, जिन्होंने पीडब्लू-6 के साथ होने का दावा किया था और मृतक को पीडब्लू-6 को यातना के बारे में बताते हुए सुना था। मृतक के पिता बाचू महतो (पीडब्लू-3) ने भी मांग के बारे में बताया। पीडब्लू-8 डॉक्टर हैं जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया। अभियुक्त द्वारा तीन गवाहों से पूछताछ की गई ताकि उसकी दलील की पुष्टि की जा सके कि मृतक को गठिया की बीमारी थी और इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') की धारा 113 (ख) के संदर्भ में तैयार किया जाना था और चूंकि मृतक की प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई थी, जैसा कि दावा किया गया था, इसलिए आरोपी आईपीसी की धारा 304-बी के संदर्भ में अपराध का दोषी था। यह देखा गया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि मृतक किसी गठिया रोग से पीड़ित था। डी. डब्ल्यू. के साक्ष्य अविश्वसनीय पाए गए। तदनुसार, धारा 304-बी के संदर्भ में दोषसिद्धि दर्ज की गई और दस साल की सजा सुनाई गई।

विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा पर सवाल उठाते हुए अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन सजा को कम कर दिया।

अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि डॉक्टर (पीडब्लू-8) ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल सका है। निचली अदालत और उच्च न्यायालय मामले के तथ्यों पर आईपीसी की धारा 304-बी को लागू करने में उचित नहीं थे। दहेज की कथित मांग और कथित अप्राकृतिक मौत के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ था। ऐसा होने पर, जैसा कि अभिलिखित किया गया दोषसिद्धि समर्थनीय नहीं है।

जवाब में, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने तथ्यात्मक स्थिति का विस्तार से विश्लेषण किया है और पाया है कि अभियुक्त - अपीलार्थी दोषी है। ऐसा होने पर, नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।

आई. पी. सी. की धारा 304-बी दहेज मृत्यु से संबंधित है जो इस प्रकार हैः

"*304 बी। दहेज मृत्यु*-(1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी जलन या शारीरिक चोट के कारण हुई है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का कुछ अर्थ होगा जैसा कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज हत्या करेगा, उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी।

यह प्रावधान तब लागू होता है जब किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

धारा 304-आई. पी. सी. के अनुप्रयोग को आकर्षित करने के लिए, आवश्यक सामग्री निम्नानुसार हैंः

(i) किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण या सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य किसी कारण से होनी चाहिए।

(ii) ऐसी मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर हुई होगी।

(iii) उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा होगा।

(iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।

(v) इस तरह की क्रूरता या उत्पीड़न को महिला की मृत्यु से कुछ समय पहले दिखाया गया है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी भी वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है। दहेज मृत्यु के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1986 द्वारा आई. पी. सी. की धारा 304-बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी दोनों को जोड़ा गया था। धारा 113 बी इस प्रकार हैः

> "*113 बीः दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान-* जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु को अंजाम दिया है और यह दिखाया गया है कि उसकी

मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार किया गया है, तो न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु का कारण बना था।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'दहेज मृत्यु' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-बी में है।

भारतीय विधि आयोग ने 'दहेज मृत्यु और विधि सुधार' पर अपनी दिनांक 10 अगस्त, 1988 की 21वीं रिपोर्ट में इन दोनों प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता का विस्तृत विश्लेषण किया है। दहेज संबंधी मौतों को साबित करने के लिए साक्ष्य प्राप्त करने में पहले से मौजूद कानून में बाधा को ध्यान में रखते हुए, विधायिका ने कुछ आवश्यक बातों के प्रमाण पर दहेज मृत्यु के अनुमान से संबंधित प्रावधान सम्मिलित करना बुद्धिमानी मानी। इसी पृष्ठभूमि में साक्ष्य अधिनियम में अनुमानित धारा 113बी अंतःस्थापित की गई है। आईपीसी की धारा 304 बी में 'दहेज मृत्यु' की परिभाषा और साक्ष्य अधिनियम की अनुमानित धारा 113 बी में शब्दों के अनुसार, आवश्यक में से एक दोनों प्रावधानों में अन्य बातों के अलावा यह भी है कि संबंधित महिला को "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले" "दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में" क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा होगा। धारा 113बी के तहत अनुमान कानून का एक अनुमान है। उसमें उल्लिखित आवश्यक वस्तुओं के प्रमाण पर, न्यायालय पर यह अनुमान लगाना अनिवार्य हो जाता है कि अभियुक्त दहेज मृत्यु का कारण बना। अनुमान केवल निम्नलिखित अनिवार्यताओं के प्रमाण पर उठाया जाएगाः

(1) न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या अभियुक्त ने किसी स्त्री की दहेज हत्या की है। (इसका मतलब है कि यह अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब

आरोपी पर आईपीसी की धारा 304बी के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा हो)।

(2) महिला को उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार किया गया था।

(3) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में था।

(4) इस तरह की क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले हुआ था।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी और धारा 304-बी के संयुक्त पठन से पता चलता है कि यह दिखाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले, पीड़ित को क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। अभियोजन को प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की संभावना को खारिज करना होगा ताकि इसे 'सामान्य से अन्यथा परिस्थितियाँ होने वाली मृत्यु' के दायरे में लाया जा सके जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी और आईपीसी की धारा 304बी को लागू किया जाता है, वहां 'शीघ्र पूर्व' अभिव्यक्ति बहुत प्रासंगिक है। अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए बाध्य है कि घटना से तुरंत पहले क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था और केवल उस मामले में अनुमान संचालित होता है। उस संबंध में साक्ष्य का नेतृत्व अभियोजन द्वारा किया जाना चाहिए। 'तुरंत पहले' एक सापेक्ष शब्द है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और घटना से पहले की अवधि क्या होगी, इसके बारे में कोई जकड़जाना सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। किसी भी निश्चित अवधि को इंगित करना खतरनाक होगा, और यह दहेज मृत्यु के अपराध के प्रमाण के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत एक अनुमान लगाने के लिए निकटता परीक्षण के महत्व को लाता है। आई. पी. सी. की मूल धारा 304बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले' निकटता परीक्षण के विचार के साथ मौजूद है। कोई निश्चित अवधि का संकेत नहीं दिया

गया है और 'जल्द ही पहले' अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 114 में प्रयुक्त 'शीघ्र पूर्व' अभिव्यक्ति का संदर्भ। साक्ष्य अधिनियम का चित्रण (ए) प्रासंगिक है। इसमें कहा गया है कि एक अदालत में कई लोग यह मान लेते हैं कि चोरी के तुरंत बाद जिस व्यक्ति के पास सामान है, या तो चोर को यह जानते हुए सामान मिल गया है कि वह चोरी हो गया है, जब तक कि वह अपने कब्जे का हिसाब नहीं दे सकता। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, 'शीघ्र पूर्व' अवधि के भीतर आने वाली अवधि का निर्धारण न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया जाना है। हालाँकि, यह काफ है यह इंगित करने के लिए कि 'जल्द ही पहले' अभिव्यक्ति का अर्थ सामान्य रूप से यह होगा कि संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न और प्रश्नगत मृत्यु के बीच का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। दहेज पर आधारित क्रूरता के प्रभावों के बीच एक निकटवर्ती और जीवंत संबंध मांग और संबंधित मृत्यु में होना चाहिए। यदि क्रूरता की कथित घटना समय पर कम हो जाती है और इतनी पुरानी हो जाती है कि संबंधित महिला के मानसिक संतुलन को बाधित नहीं कर सकती है, तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा।

क्रूरता के परिणाम जो किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं या गंभीर चोट या जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं, चाहे वह महिला का मानसिक या शारीरिक हो, आईपीसी की धारा 498ए के आवेदन को यथावत लाने के लिए स्थापित किया जाना आवश्यक है। व्याख्या में धारा 498क के प्रयोजन के लिए क्रूरता को परिभाषित किया गया है। आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा संबंधित कानूनों में आईपीसी की महत्वपूर्ण धारा 498ए और साक्ष्य अधिनियम की अनुमानित धारा 113ए को शामिल किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि आईपीसी की धारा 304बी और 498ए को पारस्परिक रूप से समावेशी नहीं माना जा सकता है। ये प्रावधान दो अलग-अलग अपराधों से संबंधित हैं। यह सच है कि क्रूरता दोनों धाराओं के लिए एक सामान्य आवश्यकता है और इसे साबित करना होगा। धारा 498ए का स्पष्टीकरण

'क्रूरता' का अर्थ देता है। धारा 304 बी में 'क्रूरता' के अर्थ के बारे में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन इन अपराधों की सामान्य पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यह लिया जाना चाहिए कि 'क्रूरता' या 'उत्पीड़न' का अर्थ वही है जो धारा 498 ए के स्पष्टीकरण में विहित है जिसके तहत 'क्रूरता' अपने आप में एक अपराध है। धारा 304 बी के तहत यह 'दहेज मृत्यु' है जो दंडनीय है और ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई होनी चाहिए थी। धारा 498 क में ऐसी किसी अवधि का उल्लेख नहीं है। यदि मामला स्थापित हो जाता है, तो दोनों धाराओं के तहत दोषसिद्धि हो सकती है। (अकुला रविंदर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए.आई.आर (1991) एस.सी. 1142.) साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के प्रचालन की अवधि सात वर्ष है, अनुमान तब उत्पन्न होता है जब किसी महिला ने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली हो।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 (संक्षेप में 'दहेज अधिनियम') "दहेज" को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

> भाग 2.'दहेज' की परिभाषा-इस अधिनियम में, 'दहेज' का अर्थ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या दी जाने वाली कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति -
>
> > (ए) विवाह के लिए एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ विवाह; या
> >
> > (बी) विवाह के संबंध में किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को, विवाह के समय या
>
> उससे पहले या उसके बाद किसी भी समय उक्त पक्षों के लिए, लेकिन उन व्यक्तियों के मामले में दहेज या मेहर शामिल नहीं है जिन पर मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) लागू होता है।

स्पष्टीकरण I-शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि विवाह के समय किसी भी पक्ष को नकद, आभूषण, कपड़े या अन्य वस्तुओं के रूप में दिए गए किसी भी उपहार को इस धारा के अर्थ के भीतर दहेज नहीं माना जाएगा, जब तक कि उन्हें उक्त पक्षों के विवाह के लिए विचार के रूप में नहीं बनाया जाता है।

स्पष्टीकरण 2-भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 30 में 'मूल्यवान प्रतिभूति' पद का वही अर्थ है।

आई. पी. सी. की धारा 304-बी में "दहेज" शब्द को समझना होगा क्योंकि इसे दहेज अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, दहेज से संबंधित तीन अवसर हैं। एक विवाह से पहले, दूसरा विवाह के समय और तीसरा विवाह के बाद किसी भी समय। तीसरा अवसर अंतहीन अवधि प्रतीत हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण शब्द "उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में" हैं। अन्य भुगतान जो प्रथागत भुगतान हैं उदाहरणार्थ बच्चे के जन्म या अन्य समारोहों के समय दिया जाता है जो विभिन्न समाजों में प्रचलित "दहेज" अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। (सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, [2001] 8 एस. सी. सी. 633 देखें जैसा कि उक्त मामले में देखा गया था कि विवाह के सात वर्षों के भीतर एक विवाहित महिला की "आत्महत्या से मृत्यु" इस अभिव्यक्ति के दायरे में आती है कि "एक महिला की मृत्यु या सामान्य परिस्थितयों के तहत व्यक्ति या अन्यथा जैसा कि भाा.द.प्र. की धारा 304-बी के तहत अभिव्यक्ति।

तत्काल मामले में डॉक्टर ने कहा कि मौत का संभावित कारण पता नहीं चल सका था। की राय पर बहुत जोर दिया गया है जैसा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है, गर्दन के दोनों ओर काले रंग की खुरदरी त्वचा पाई गई थी। पोस्टमॉर्टम जांच करने वाले डॉक्टर ने यह भी देखा है कि मुंह के किनारे से खून से सना हुआ तरल

पदार्थ आ रहा था और मस्तिष्क के मामले संकुलित वाले पाए गए थे। डॉक्टर दुर्भाग्य से गर्दन पर निशान के प्रभाव पर विचार नहीं किया और मुँह से खून के धब्बेदार तरल पदार्थ का रिसना। जांच पदाधिकारी (पीडब्लू-9) ने खून से सना एक तकिया जब्त किया था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मौत सामान्य कारणों से हुई थी। पीडब्लू 1,3 और 6 के साक्ष्य ने दहेज की मांग और मृतक के साथ दुर्व्यवहार की तारीख से कुछ समय पहले घटना पर्याप्त रूप से स्थापित किया अभियुक्त के अपराध के बारे में निष्कर्ष निकालने में ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय को उचित ठहराया गया। हालाँकि यह दिखाने का प्रयास किया गया था कि यदि आरोपी दोषी होता तो वह परिवार के सदस्यों के साथ मृतक का इलाज कराने की कोशिश नहीं करता। इसका कारण बहुत दूर की बात नहीं है। आरोपी व्यक्ति और अन्य लोग कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। यदि मृत्यु सामान्य थी जैसा कि अभियुक्त द्वारा दावा किया गया था, तो मृतक की गर्दन पर चोटों को समझाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था। अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने को स्थापित करता है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और संशोधित सजा में हस्तक्षेप करने के लिए कोई दुर्बलता नहीं है।

याचिका ख़ारिज की जाती है।

आर.पी अपील खारिज